तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **धर्मसिंह बनाम शेरसिंह** **अपील संख्याः–68 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 443)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.23		

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश–23 नियम–3 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 10.07.2023 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 के विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये थी लेकिन सहवन से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 2023 / 443 उनवान धर्मसिंह बनाम शेरसिंह को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुंत करने हेतु वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाये जाने में अपनी सहमति दी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत अपील दोषपूर्ण तरमीम एवं शुद्धिपत्र सम्बन्धी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट स्वयं भी हस्तगत अपील को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापस लौटाये जाने का निवेदन किया है जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने भी अपनी सहमति दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

मूल पत्रावली प्राप्त की
[signature]

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता अपीलान्ट को वापस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[signature]

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।